राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारीः— दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 108/2024

सरस्वती देवी पत्नि इन्द्र सिंह उम्र 66 वर्ष, जाति रावत निवासी जेमाजी का वास बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द

.....वादी

बनाम

01. शंकर सिंह पिता हजारी सिंह उम्र 55 वर्ष जाति रावत निवासी जेमाजी का वास बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द
02. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.....प्रतिवादी

उपस्थितिः—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र तिवारी
02. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी एवं श्री मीठा सिंह चौहान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

निर्णय दिनांकः— 16.06.2025

1. उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिये अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र तिवारी ने न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि मुझ वादीया की कब्जे काश्त की आराजी मौजा बरार पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार संवत् 2075—2078 जमाबंदी 2077 (2021) के अनुसार खाता संख्या 114 में खसरा संख्या 6560 रकबा 0.0405 है0 किस्म बंजड़ एवं खाता संख्या 113 रकबा 0.0243 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0648 है0 की आई हुई है। वादीया एवं अन्य खातेदार के हिस्से व कब्जे में है जिसमें खसरा नम्बर 6564 में 5/12 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 6560 में 7/24 हिस्सा पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज व काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम के अलावा किसी अन्य खातेदार से कोई हक संबंधी विवाद नहीं होने से उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। क्योंकि उनके हक हिस्से से कोई लेना—देना नहीं है ना कोई आपत्ति है। माफिक जमाबंदी संवत् 2032 के उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार भूर सिंह, हजारी सिंह, मीठा सिंह पुत्र सुजान सिंह 1/2 हिस्से के खातेदार एवं केशर सिंह ,देवी सिंह पुत्र लाल सिंह 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। वादीया ने दिनांक 01.07.1994 को खातेदार हजारी सिंह पुत्र सुजान सिंह से उक्त भूमि का 1/6 सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एवं उसी दिन 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार देवी सिंह पुत्र लाल सिंह के वारिस से उनका सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा जरिये खरीद इकरार कर कब्जा प्राप्त किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के बतौर गवाह हस्ताक्षर है। तभी से उक्त भूमि खसरा नम्बर 6564 का 5/12 एवं खसरा नम्बर 6560 का 7/24 खरीद शुदा हिस्से पर काबिज हो सभी के सामने निर्बाध रूप से लगातार काश्त करते आ रहे है जिसे 30 वर्षों से

16/6

भी अधिक का समय हो गया है इसलिए वादिया Adverse Possesion के आधार पर भी खातेदार हो गई एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। सजरा अनुसार वादीया ने उक्त भूमि का 1/6 हिस्सा खातेदार हजारी सिंह से बेचान पत्र से खरीदा एवं 1/4 हिस्सा देवी सिंह के वारिस से जरिये इकरार बेचान खरीद कब्जा प्राप्त किया जिसे 30 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है। प्रतिवादी संख्या 01 शंकर सिंह के पिता हजारी सिंह ने अपने खाते का सम्पूर्ण हिस्सा जब वादीया को रजिस्टर्ड बेचान पत्र के बेचान कर कब्जा सौप दिया तो उसका कोई हक उक्त भूमि में नहीं है। किन्तु गलती से वर्तमान में देवी सिंह के वारिस के नाम के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। जबकि इनका कोई हक अथवा कब्जा नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 01 ने माननीय न्यायालय में उक्त भूमि के बंटवाड़ें का दावा मुकदमा नम्बर 209/2023 एवं मुकदमा नम्बर 210/2023 किया तथा इसके नोटिस दिसम्बर 2023 में मिले। तब जानकारी करने पर रिकॉर्ड की नकले प्राप्त कर अब वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम उक्त रिकॉर्ड से हटा वादीया के खाते उक्त हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी के पिता हजारी सिंह का नाम विलोपित कर वादीया के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त हिस्सा किया जावे। हजारी सिंह ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा बेचान कर दिया। इसलिए अब उसके पुत्र का कोई हक हिस्सा वादग्रस्त आराजीयात में नहीं रहा। माफिक रजिस्टर बेचान पत्र व इकरार बेचान के वादिया उक्त भूमि खरीद कब्जा प्राप्त कर निर्बाध रूप से सभी के सामने लगातार काबिज होने से एडवर्स कब्जे के आधार पर भी वादिया 1/4 + 1/6 कुल 5/12 हिस्से की खातेदार हो गई है। जिसे खातेदार घोषित कर रिकॉर्ड में अमलदरामद कर प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। वरना वादिया को बडी हानि होगी जो अर्थ में संभव नहीं होगी।

2. वाद पत्र को बाद जांच दिनांक 21.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन दिनांक 18.02.2025 को तामिल शुदा प्राप्त हुआ जिसमें जरिये अधिवक्ता वकालतानामा पेश किया। लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर दिनांक 28.05.2025 को न्यायालय के बाहर आवाज लगाने पर कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र का खण्डन नहीं होने पर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष को ही तनकियात माना जाकर पत्रावली शहादत वादीया में निर्धारित की गई। वकील वादीया द्वारा दिनांक 04.06.2025 को साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में पीडब्ल्यू 01 सरस्वती देवी पत्नि इन्द्र सिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। उपस्थित गवाहन को शपथ दिलाई जाकर बयान कलमबद्ध किये गये। गवाहान ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बेचान पत्र के हिस्से अनुसार चाहे गए अनुतोष के अनुसार वादीया को वादग्रस्त आराजियात में 5/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का निवेदन किया। दस्तावेज के रूप में Exp –01 बेचान दस्तावेज खाता संख्या 568, Exp– 02 बेचान इकरारनामा दिनांक 01.07.1994, Exp –03 इकरारनामा बाबत सहमति प्रदर्श कर शामिल किए गए। साक्ष्य शपथ पत्र को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.06.2025 को मुकर्रर की गई।

3. दिनांक 16.06.2025 को वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्षों पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाकर खरीद शुदा जरिये इकरार, बेचान हक हिस्से अनुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादीया मौके पर हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा वर्षों से अपना कब्जा काश्त कर हिस्सा अनुसार आराजियात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति उजर एतराज नहीं है तथा कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग लम्बे समय से सभी की जानकारी में

16/6/25

है। अतः विवाद जैसी कोई स्थिति नही है। अतः दिनांक 17.09.2024 को जरिये इकरार नामा चतर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, हिम्मत सिंह पुत्र उदय सिंह ने खसरा नम्बर 6560, 6564, 6565 में अपने हिस्से को वादीया को 01.07.1994 को बेचान करना स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को वादिया के नाम करने बाबत सहमति जाहिर कर किसी प्रकार के ऐतराज को खारिज किया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादीया को 1/4 + 1/6 कुल 5/12 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त किये जाने के आदेश फरमाये।

4. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल वाद पत्र, जमाबंदी, सजरा खानदान, गवाहों के बयानात का भली–भांति अध्ययन, अवलोकन किया। बेचान दस्तावेज, बेचान इकरारनामा 01.07.1994 व सहमति इकरारनामा 17.09.2024 का भली–भांति अध्ययन अवलोकन किया। वकील वादीया के बहस के तर्कों पर मनन किया। प्रतिवादी की लिखित सहमति से यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजियात हजारी सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। एवं हजारी सिंह ने उक्त वादग्रस्त आराजियात को अपने जीते जी वादिया को जरिये पंजीकृत बेचाननामे 01.07.1994 को बेचान कर दिया था लेकिन वादीया के नाम उक्त वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम हस्तान्तरित ना होकर हजारी सिंह के नाम ही रही। हजारी सिंह के फौत होने पर विरासतन नामान्तकरण के उपरोक्त आराजी शंकर सिंह के नाम दर्ज हो गई। जो सहवनीय त्रुटि नजर आती है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। बेचान दस्तावेज व प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद पत्र काबिल स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा बरार पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद के खाता संख्या 114 में खसरा संख्या 6560 रकबा 0.0405 है0 किस्म बंजड़ एवं खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 6564, रकबा 0.0243 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0648 है0 भूमि में वादीया को 1/4 + 1/6 कुल 5/12 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी होकर मूर्तिब व मुकम्मल हो। तद्नुसार तहसीलदार भीम राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार भीम को पालना हेतु पृथक से तहरीर जाहिर हों। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारीः— दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 108/2024

सरस्वती देवी पत्नि इन्द्र सिंह उम्र 66 वर्ष, जाति रावत निवासी जेमाजी का वास बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द

.....वादी

बनाम

01 शंकर सिंह पिता हजारी सिंह उम्र 55 वर्ष जाति रावत निवासी जेमाजी का वास बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द
02. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.....प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र तिवारी एवं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी एवं मीठा सिंह चौहान की उपस्थिति में तथा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर इस वाद में आज दिनांक 16.06.2025 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि मौजा बरार पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद के खाता संख्या 114 में खसरा संख्या 6560 रकबा 0.0405 है0 किस्म बंजड़ एवं खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 6564, रकबा 0.0243 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0648 है0 भूमि में वादीया को 1/4 + 1/6 कुल 5/12 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

यह डिक्री आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
भीम

वादी			प्रतिवादी
	रूपया		रूपया
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर
भीम